

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम, जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

30/5/28 परावली के इहे अधिवक्ता का
वापस एवं प्रतिवकील हाजिर नही करिये
एक के वही एवं प्रतिवकील के एवं सुप्रीम
वर्ग के एवं सुप्रीम परावली के
आदेश के अनुसार

अगस्त परावली के इहे अधिवक्ता का
वापस व उरि जरीम दखिलगी परावली
दिनांक 7.7.28 के अनुसार

7/7/28 परावली के इहे अधिवक्ता का
हाजिर नही करिये अधिवक्ता उमरपुर के
एक के एवं सुप्रीम परावली के एवं सुप्रीम
प्रतिवकील एवं सुप्रीम के एवं सुप्रीम
हाजिर नही करिये एवं सुप्रीम के एवं सुप्रीम
का एवं सुप्रीम एवं सुप्रीम के एवं सुप्रीम
एवं सुप्रीम एवं सुप्रीम के एवं सुप्रीम
मिति के एवं सुप्रीम के एवं सुप्रीम
मिति के एवं सुप्रीम के एवं सुप्रीम



उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

